


अतारांकित प्रश्न क्रमांक 289 माननीय विधायक श्री विपीन जैन
मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मजरे टोले की जानकारी

मजरे टोले का नाम	सीसी रोड एवं लाईट की सुविधा	राजस्व ग्राम बनने की पात्रता	राजस्व ग्राम बनने की पात्रता न होने का कारण	मजरा टोला को राजस्व ग्राम बनाने हेतु की गयी कार्यवाही
1. तहसील दलोदा में आक्याउमाहेडा का मजरा टोला उमाहेडा	उपलब्ध	हाँ	-	मजरे टोलो का राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित होकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
2. नांदवेल का मजरा टोला अजनोंटी	उपलब्ध	हाँ	-	
3. धन्धोडा का मजरा टोला पालसोडा	उपलब्ध	हाँ	-	
4. बालोदिया का मजरा टोला खाखरीखेडा	उपलब्ध	नहीं	मजरा टोला खाखरीखेडा मूल राजस्व ग्राम बालोदिया से 02 किलोमीटर से कम दूरी होने से राजस्व ग्राम बनाये जाने की पात्रता नहीं रखता है।	


 एस. एस. ड़ावर
 अधीक्षण यंत्री
 म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
 भोपाल (म.प्र.)

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 289 माननीय विधायक श्री विपीन जैन

मजरा टोला को राजस्व ग्राम होने की पात्रता के मापदण्ड

1. मूल राजस्व ग्राम में मजरा टोलो की दूरी लगभग 2 कि.मी. या अधिक होनी चाहिए।
2. पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम क्षेत्रफल 200 एकड से कम न हो तथा आबादी 200 से अधिक होनी चाहिए।
3. पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की चतुर्थ सीमाएं मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलनी चाहिए। मजरे टोलो से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमा मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहें।

ए. जैन

जन पत्रा

राज्य योजना गारंटी परिषद

श्री